न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मोहम्मद रफी(एच०जे०एस०)

UPSD010008542026

Bail Application/337/2026

बाल गोविन्द पुत्र सुधाकर साकिन–पकड़ी पठान थाना इटवा, जिला सिद्धार्थनगर।

---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश ---विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०--48/2018
धारा–135 भा०वि०अधि०
थाना–त्रिलोकपुर
जनपद– सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त बाल गोविन्द की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल बेगुनाह एवं बेकसूर व निर्दोष है। महज कारगुजारी पूर्ति हेतु रंजिशन सहवन झूठे मुकदमे में गलत तथ्यों के आधार पर फंसा दिया गया है। प्रार्थी का श्रीमान् जी के समक्ष यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोई जमानत आवेदन पत्र विचाराधीन नही है और न ही निस्तारित ही हुई है। वह वैध कनेक्शनधारी है तथा उपयोग उपभोग करते हुए बराबर विद्युत बिलो का भुगतान करता चला आ रहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का मिसयूज नहीं

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.10 16:29:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करेगा और न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर हर तारीख पेशी पर बराबर हाजिर अदालत आता रहेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता(विद्युत अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

4. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर एल०टी० लाइन में ऊर्जा मीटर के पहले सर्विस केबल को पूरी तरह काट कर डारेक्ट जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। प्रकरण में आरोप–पत्र आ चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6. अभियुक्त **बाल गोविन्द** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–10.03.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. CODE – UP 6336